बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक ,2016

संख्या–2/कोर्ट–30–02/2016 गृ0आ0 /एम0जे0सी0 सं0–1831/2009 रामचन्द्र प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24.11.2015 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री रामचन्द्र प्रसाद, से0नि0 पुलिस उपाधीक्षक को विभागीय संकल्प सं0–10249 दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिरोपित दंड जिसके तहत श्री रामचन्द्र प्रसाद को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) में निहित प्रावधान के तहत पेंशन से 25% की राशि कटौती का दंड अधिरोपित किया गया था को एम0जे0सी0 सं0–1831/2009 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–10249 दिनांक 21.12.2010 को निरस्त किया जाता है।

2. श्री रामचन्द्र प्रसाद, से0नि0 पुलिस उपाधीक्षक को विभागीय संकल्प सं0–10249 दिनांक 21.12.2010 द्वारा रोकी गयी 25% पेंशन की राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(**देव नारायण मंडल**)
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–2/कोर्ट–30–02/2016 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री रामचन्द्र प्रसाद, से0नि0 पुलिस उपाधीक्षक, 35 गांधीनगर, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एम0जे0सी0 सं0–1831/2009 रामचन्द्र प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.11.2015 को पारित आदेश (आदेश की प्रति संलग्न) के आलोक में श्री रामचन्द्र प्रसाद पुलिस उपाधीक्षक, से0नि0 को विभागीय संकल्प सं0–10249 दिनांक 21.12.2010 द्वारा बिहार पेशंन नियमावली 43 (ख) के तहत रोकी गयी 25% पेंशन की राशि का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा आदेश पारित की तिथि से छः माह के अन्दर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/कोर्ट–30–02/2016 गृ0आ0 2785 /पटना, दिनांक 8/4 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.16

सरकार के संयुक्त सचिव।